1

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 52/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. शंकरलाल पुत्र सरदारराम जाति बावरी निवासी सुरायता तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री दुर्गाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: **निर्णय** :– दिनांक :– 18/11/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सुरायता पटवार हल्का सुरायता, भू0अ0नि0 क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत के सिवायचक खसरा नम्बर 72/2652 रकबा 0.3400 है0, किस्म बा0दो0 एवं ख0नं0 73 रकबा 0.2200 है0 किस्म बा0दो0 की कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 70 रकबा 2.2600 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा सुरायता के खसरा नंबर 72/2652, 73 की कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2025/750 दिनांक 26.05.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सुरायता द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी**

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी व उसकी बहिन के नाम ख0नं0 70 की खातेदार भूमि ग्राम सुरायता में मोडावास मार्ग पर स्थित हैं। भूमि में आवागमन का रास्ता नहीं हैं। प्रार्थित रास्ता सिवायचक ख0नं0 73 व 72/2652 में से रास्ते को बिन्दु GH से दर्शाया गया है तथा विकल्पेन प्रवीण कुमार शर्मा की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को EF से दर्शाया गया है, जिसकी लम्बाई 92 मी0 तथा चौड़ाई 4 मीटर हैं। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं हैं। रास्ते का कुल रकबा 0.0368 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 182000/- रूपये प्रति हैक्टर है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत सुरायता की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि ख0नं0 70 में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा सुरायता के खसरा नंबर 73, 72/2652 कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 सुरायता, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 70 में पंहुच हेतु निकटतम रास्ता GH सिवायचक खसरा नं0 73, 72/2652 किस्म बा0दो0 से होकर ख0नं0 242 गै0मु0 सड़क तक जाता हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सुरायता पटवार हल्का सुरायता, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

सुरायता तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 73 रकबा 0.2200 है0, ख0नं0 72/2652 रकबा 0.3400 है0 की कृषि भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 70 रकबा 2.2600 है0 में पंहुचने हेतु सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (182000/- रू0 × 2 × 0.0368 है0 = 13396/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि). करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

क0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	73 72/2652 बा0दो0	0.2200 0.3400	राज0 सरकार	92 मी0× 4 मी0 = 0.0368 है0	13396/-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज)

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज